उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़

(आपदा शाखा)

:: आदेश ::

विषयः लॉकडाउन के आलोक में जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के संबंध में।

कोरोना वायरस (COVID-19) Disaster Management Act-2005 के तहत आपदा घोषित किया गया है व झारखण्ड सरकार के द्वारा The Jharkhand State Epidemic Disease (COVID-19) Regulation, 2020 निर्गत किया गया है। उक्त के आलोक में निम्न निदेश दिये जाते है :–

1–झारखण्ड आकस्मिक खाद्यान्न कोष से सभी पंचायतों के मुखिया को 10–10 हजार रूपये की राशि दी गयी है। मुखिया व संबंधित पंचायत सचिव यह सुनिश्चित करेंगें कि उनके यहाॅ कोई भी व्यक्ति अनाज/राशन नहीं होने की वजह से भूख से पीड़ित नहीं हो। इसमें किसी भी लापरवाही को अत्यन्त गंभीरता से लिया जायगा। इसका अनुपालन सुनिश्चित करना, मुखिया व पंचायत सेवक की निजी तौर पर जिम्मेवारी होगी। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी इसका Daily Monitoring करेंगें।

2–वैसे जरूरतमंद लोग, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको 10 किलोग्राम चावल आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराने हेतु आदेश जिला से निर्गत किया गया है। इसे प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अनुपालन सुनिश्चित करायेंगें।

3–स्थानीय स्तर पर आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, सहिया की यह जिम्मेवारी होगी कि यदि भूख से पीड़ित किसी व्यक्ति की सूचना प्राप्त होती है, तो उसकी जानकारी अविलम्ब प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगें। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ऐसे मामलों में आवश्यकतानुसार राशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायेंगें।

4–जिले में कोई भी कम्युनिटी कीचन बिना प्रशासन के स्वीकृति के नहीं चलाया जाय। स्वीकृति देने हेतु संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी को प्राधिकृत किया जाता है। किसी भी एन0जी0ओ0/वोलेन्टियर/कम्पनी आदि के द्वारा जो कम्युनिटी कीचन चलाया जा रहा है और जिसमें जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाया जा रहा है, उसमें यथासंभव Packed Food दिया जाय, ताकि भीड़ नहीं लगे। Social Distancing हेतु आवश्यक व्यवस्था करायेंगें व लोगों को कम–से–कम 01 मीटर की दूरी पर खड़े करने हेतु जमीन में गोलाकार आदि बनाकर इसका पालन सुनिश्चित करेंगें।

ह0/–
उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।

ज्ञापांक 576 /रा0 रामगढ़, दिनांक 30/03/2020

प्रतिलिपि :पुलिस अधीक्षक, रामगढ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया पुलिस केन्द्र व थाना स्तर के कम्युनिटी कीचन में भी उपरोक्त कार्रवाई सुनिश्चित कराया जाय।

प्रतिलिपिः उप विकास आयुक्त, रामगढ़/छावनी अधिशासी अधिकारी, रामगढ़ कैन्ट/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, रामगढ/सिविल सर्जन, रामगढ़/अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रामगढ़/ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जे0एस0एल0पी0एस0, रामगढ़/जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, रामगढ़/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, रामगढ़/जिला सामाज कल्याण पदाधिकारी, रामगढ़/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रामगढ़ जिला/सभी अंचल अधिकारी, रामगढ़ जिला/सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रामगढ़ जिला/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रामगढ़ जिला/सभी मुखिया, रामगढ़ जिला (संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के माध्यम से)/सभी पंचायत सचिव/जन सेवक, रामगढ़ जिला (संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के माध्यम से)/सभी आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका, रामगढ़ जिला (संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के माध्यम से)/सभी ए0एन0एम0 एवं सहिया, रामगढ़ जिला (संबंधित प्रखण्ड प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के माध्यम से) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/03/2020

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।